कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 190/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

क्षेत्रीय किसानों हेतु आवंटित शासकीय उर्वरक धनराशि में ₹3,46,009/- का गबन करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.12.2025 को सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) द्वारा थाना बरदह पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि बी-पैक्स बौआपार समिति के प्रभारी द्वारा क्षेत्रीय किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु आवंटित ₹5,00,000/- की शासकीय सहायता धनराशि में से उर्वरक बिक्री के ₹3,46,009/- समिति में जमा न कर गबन कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 411/2025 धारा 316(5) बीएनएस बनाम खरपत्तू चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान निवासी उत्तरगावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

जनपद में अपराध एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.05.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त खरपत्तू चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान निवासी उत्तरगावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को बेला खास मोड़ से समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. खरपत्तू चौहान पुत्र मुनेश्वर चौहान निवासी उत्तरगावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 411/2025 धारा 316(5) बीएनएस थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 111/2020 धारा 409 भादवि थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 411/2025 धारा 316(5) बीएनएस थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 203/2018 धारा 138 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 पवन यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. का0 विनोद यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने व अवैध धर्म परिवर्तन प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.05.2026 को वादी द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री घर से चली गयी है तथा एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान युवती की बरामदगी की गयी। बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 351(3), 64(1) बीएनएस व 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त मोहम्मद तबरेज पुत्र जावेद अहमद निवासी ग्राम ओरिल डिहवा थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 17.05.2026 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद तबरेज पुत्र जावेद अहमद निवासी ग्राम ओरिल डिहवा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को बलुआ मोड़ तिराहे से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. मोहम्मद तबरेज पुत्र जावेद अहमद निवासी ग्राम ओरिल डिहवा थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 110/2026 धारा 87, 351(3), 64(1) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गोपाल जी, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
2. का0 विकास यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.05.2026 को थाना तरवां पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तों द्वारा रास्ते में बाइक से जा रही युवतियों के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट एवं ईंट-पत्थर से हमला करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 74/115(2)/130 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 16.05.2026 को उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह पुलिस टीम द्वारा ग्राम नौरसिया में मुकदमा उपरोक्त के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान अभियुक्तगण घटनास्थल पर पुनः वाद-विवाद करते हुए पाए गए, जिससे मौके पर तनाव एवं आमजन में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गयी। पुलिस टीम द्वारा काफी समझाने-बुझाने के बावजूद अभियुक्तगण शांत होने को तैयार नहीं हुए, जिस पर तीनों अभियुक्तों को समय करीब 16:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. रामअवतार राजभर पुत्र इन्द्रदेव राजभर उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम नौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
2. भोलू उर्फ विशेष राजभर पुत्र शिवकुमार राजभर उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम नौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
3. गौतम राजभर पुत्र हरिराम राजभर उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम नौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 95/2026 धारा 74/115(2)/130 बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल , मय हमराह थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया पुलिस की सराहनीय पहल, पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कर पुनः मिलवाया गया परिवार

पूर्व का विवरणः-

दिनांक 15.05.2026 को थाना अतरौलिया पर प्राप्त प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण पति द्वारा घरेलू खर्च न देने एवं आए दिन विवाद कर मायके भेज देने की शिकायत की गयी थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र की जांच उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला व हे0का0 मनोज कुमार द्वारा की गयी।

समझौते का विवरणः-

आज दिनांक 17.05.2026 को थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाना स्थानीय पर बुलाकर उनके परिजनों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में आपसी वार्ता करायी गयी। पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने पर पति-पत्नी परिवार के भविष्य एवं आपसी सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पुनः साथ रहने के लिए राजी हो गये। दोनों ने आपसी सहमति एवं बिना किसी दबाव के खुशी-खुशी साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला , थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 मनोज कुमार , थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 श्वेता मिश्रा , थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 निधि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 15.05.2026 को थाना सरायमीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के संबंध में मु0अ0सं0 121/2026 धारा 75, 115(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम आकाश पुत्र राजदेव निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 17.05.2026 को उ0नि0 हरिकेश शर्मा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आकाश चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को कमालपुर मोड़ के पास से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आकाश चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 121/2026 धारा 75, 115(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 हरिकेश शर्मा,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 अमेरिका यादव,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. रि0आ0 रविन्द कुमार,थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

महिला पर जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल दाव (चापड़) बरामद

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 16.05.2026 को थाना जीयनपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त बजरंगी पुत्र रममत निवासी मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं लोहे की दाव से जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने के संबंध में मु0अ0सं0 0218/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/333 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 17.05.2026 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बजरंगी पुत्र रममत निवासी मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को पाण्डेयपार मोड़ से समय करीब 11:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद आलाकत्ल दाव (चापड़) बरामद होने पर मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. बजरंगी पुत्र रममत निवासी मुहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष।

बरामदगीः-

01. एक अदद आलाकत्ल दाव (चापड़)।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 0218/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/333 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0289/2018 धारा 332/504/506 भादवि थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 0369/2021 धारा 323/354(ख)/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर।
3. मु0अ0सं0 0370/2021 294/353/504 भादवि थाना जीयनपुर।
4. मु0अ0सं0 632/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर।
5. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 353/504/506 भादवि थाना जीयनपुर।
6. गुण्डा एक्ट की कार्यवाही वर्ष 2023।
7. मु0अ0सं0 368/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना जीयनपुर।
8. मु0अ0सं0 0218/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/333 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जाफर खान, चौकी प्रभारी लाटघाट ,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 दीनदयाल कुशवाहा,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 मेराज अली,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 राहुल यादव,थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़

जान से मारने की नियत से गर्दन पर चाकू से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अहरौला पुलिस की कार्यवाही

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 15.07.2025 को थाना अहरौला पर प्राप्त तहरीर के आधार पर घर में घुसकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से गर्दन पर हमला करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 278/25 धारा 109/333/61(2) बीएनएस थाना अहरौला पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त अंजनी कुमार पुत्र गामा प्रसाद निवासी

निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध मा0 न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी निर्गत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.05.2026 को उ0नि0 यश कुमार पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंजनी कुमार पुत्र गामा प्रसाद निवासी निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 48 वर्ष को बरामदपुर पुलिया के पास से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 278/25 धारा 109/333/61(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. अंजनी कुमार पुत्र गामा प्रसाद निवासी निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 यश कुमार पटेल, चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला
2. हे0का0 इंद्रमणि पटेल थाना अहरौला
3. का0 वरुण कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

शराब के नशे में अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने आलाज़ुर्म पीढ़ा, ईंट का टुकड़ा व लकड़ी का डण्डा किया बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.05.2026 को थाना मुबारकपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त हरिओम चौहान पुत्र स्व0 नखड़ू चौहान निवासी ग्राम नरांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए ईंट व लकड़ी के डण्डे से सिर व चेहरे पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 192/2026 धारा 115(2), 352, 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 कमला सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.05.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हरिओम चौहान को उसके घर ग्राम नरांव से समय करीब 21:57 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाज़ुर्म लकड़ी का पीढ़ा, ईंट का टुकड़ा एवं लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण:-

आलाज़ुर्म लकड़ी का पीढ़ा, ईंट का टुकड़ा एवं लकड़ी का डण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 192/2026 धारा 115(2), 352, 109(1) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. हरिओम चौहान पुत्र स्व0 नखड़ू चौहान निवासी ग्राम नरांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

फर्जी मतदाता सूची तैयार कर निर्वाचन प्रक्रिया में हेरफेर करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

बीएलओ, सुपरवाइजर व अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर मतदाता परिवर्धन-विलोपन का मामला उजागर

जीयनपुर पुलिस की कार्यवाही, पंचायत चुनाव की पाण्डुलिपि में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों को भेजा गया न्यायालय

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 16.05.2026 को तहसील सगड़ी में तैनात राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित पाण्डुलिपि कार्य के दौरान विकास खण्ड अजमतगढ़ से जमा की गयी पाण्डुलिपियों की जांच में फर्जी हस्ताक्षरयुक्त पाण्डुलिपि सम्मिलित पायी गयी, जिसमें मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम परिवर्धन एवं विलोपन किया गया था। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलीभगत कर बीएलओ, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर मतदाता सूची में हेरफेर किया गया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ शासकीय क्षति भी हुई। उक्त प्रकरण में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0220/2026 धारा 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/316(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दलप्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.05.2026 को उ0नि0 दलप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. अक्षय कुमार पुत्र रामबेलास निवासी छत्तरपुर दलेल थाना जीयनपुर, 2. संतोष कुमार भाष्कर पुत्र दिलब निवासी जमुआ हरिराम थाना मुबारकपुर तथा 3. नदीम अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर को बागखालिस नहर पुलिया के पास से समय करीब 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 0220/2026 धारा 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/316(5) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. अक्षय कुमार पुत्र रामबेलास निवासी छत्तरपुर दलेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. संतोष कुमार भाष्कर पुत्र दिलब निवासी जमुआ हरिराम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. नदीम अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 दलप्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 बुटाई शाह, , थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सत्यम सिंह, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. रि0का0 कर्णजीत विश्वकर्मा , थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. रि0म0का0 संजना राय, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
छिनैती की घटना का सफल अनावरण, 01 अदद सोने का लॉकेट (कीमत लगभग ₹40,000/-) बरामद, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना गम्भीरपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 05.05.2026 को समय लगभग 10:00 बजे वह अपने मायके जाते समय लहबरिया हाईवे के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से झपट्टा मारकर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाने की घटना कारित की गई थी। उक्त प्रकरण में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0–101/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना का अनावरण/गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 17.05.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे छिनैती/लूट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर लहबरिया हाईवे के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान घटना में संलिप्त 02 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 01 अदद पीली धातु का लॉकेट (सोने जैसा), नकद धनराशि एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में दोनों बाल अपचारियों द्वारा उक्त छिनैती की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। दोनों बाल अपचारियों को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण–

01 अदद सोने जैसा लॉकेट (कीमत लगभग ₹40,000/-), 01 अदद मोटरसाइकिल एवं नकद धनराशि।

अपराध का अनावरण–

01. मु0अ0सं0–101/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण के माध्यम से एक बिखरे परिवार को पुनः मिलाया गया, पारिवारिक विवाद का हुआ समाधान

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.05.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 11 पत्रावलियों में पक्षकारों को नोटिस/फोन के माध्यम से मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें 09 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए।

मिडिएशन के दौरान 05 पत्रावलियों में पूर्व में समझौता कर चुके दम्पत्तियों द्वारा कुशलता व्यक्त की गई, जबकि 01 प्रकरण में दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर आपसी सहमति से पारिवारिक विवाद का समाधान कराया गया। प्रकरण में दहेज प्रताड़ना, मारपीट एवं गाली-गलौज जैसे आरोप अंकित थे, जिन पर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर पुनः साथ रहने हेतु सहमत कराया गया।

"नई किरण" प्रोजेक्ट बिखरे परिवारों को पुनः जोड़ने तथा पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शेष पत्रावलियों में अगली तिथि पर मिडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

कुल समझौते – 01

उपस्थित टीम–

काउंसलर डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं आरक्षी जितेन्द्र शाह उपस्थित रहे।

प्रेस नोट, दिनांक– 17.05.2026, जनपद आजमगढ़

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा 29वीं अन्तरजनपदीय वाराणसी जोन जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता-2026 का शुभारम्भ

□ 17 मई से 19 मई 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में 07 जनपदों के 114 खिलाड़ी ले रहे प्रतिभाग

□ खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने का किया गया आह्वान

आज दिनांक 17.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा 29वीं अन्तरजनपदीय वाराणसी जोन जूडो क्लस्टर (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता वर्ष-2026 का शुभारम्भ किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में आयोजित यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता दिनांक 17.05.2026 से 19.05.2026 तक जनपद आजमगढ़ में सम्पन्न होगी।

प्रतियोगिता में जूडो, वुशु, ताईक्वांडो, कराटे एवं पेंचक सिलाट खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, बलिया, भदोही, जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर जनपदों की टीमों सहित कुल 07 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं।

प्रतियोगिता में कुल 95 पुरुष एवं 19 महिला खिलाड़ियों सहित कुल 114 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। जनपदवार खिलाड़ियों का विवरण निम्नवत है–

1. आजमगढ़ – पुरुष 17, महिला 11
2. मऊ – पुरुष 12
3. बलिया – पुरुष 05
4. भदोही – पुरुष 18
5. जौनपुर – पुरुष 19, महिला 08
6. चंदौली – पुरुष 10
7. गाजीपुर – पुरुष 14

कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता का विधिवत शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, स0पु0अ0 प्रेमशुख दरिया, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, टीम मैनेजर, निर्णायकगण, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार बन्धु एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।